कार्यालय नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर (राज.)

क्रमांक : नविप्र / भवन मानचित्र शाखा / 4285-4287 दिनांक : 16-12-13

श्री / श्रीमती मोहन सिंह सेठ
पिता / पत्नी स्व. गेहरीलाल सेठ
नि. - 349, भूपालपुरा, उदयपुर

विषय : न्यास के तथा न्यास द्वारा अनुमोदित योजनाओं के आवासीय भूखण्डो पर भवन निर्माण का अनुमति पत्र।

महोदय / महोदया,

आपके द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्रांक 642 दिनांक 29/06/12 के अनुसरण में नगर विकास प्रन्यास की [illegible] नामी योजना में क्वार्टर / भूखण्ड संख्या 12 ब्लॉक संख्या — के योजना के प्लान के क्वार्टर / भूखण्ड संख्या 12 (बारह) क्षैत्रफल 37362.50 वर्गफीट / ~~वर्गमीटर~~ / वर्गगज पर निम्नलिखित शर्तो के साथ भवन निर्माण की इजाजत दी जाती है। राजस्व ग्राम - बेदलाखुर्द खसरा नम्बर - 39/1, 40/1 आदि

1. भूखण्ड पर निर्माण निम्नलिखित सेटबेक छोड़कर किया जायेगा। (एक सौ साठ फीट)
   सामने को सेटबेक 160'0" फीट
   पीछे का सेटबेक 30'0" (तीस) फीट
   पार्श्व का सेटबेक पार्श्व – 1 30'0" (तीस) फीट, पार्श्व – 2 60'0" (साठ) [illegible] फीट
   उपरोक्त निर्धारित सेटबेक में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया जाय।
2. भूखण्ड पर बनाये जाने वाले भवन का क्षैत्रफल भूखण्ड के क्षैत्रफल के As per plan प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।
3. आपके भूखण्ड के सामने सड़क की चौड़ाई 40'0" (चालीस) फीट / मीटर पर कोई निर्माण कार्य नहीं करे।
4. आप भवन के प्रत्येक कमरे, रसोई, शौचालय आदि में हवा व रोशनी की उपयुक्त व्यवस्था करेंगे।
5. आप भूखण्ड में कोई भी ऐसा निर्माण या उपयोग नहीं करेंगे जिसके कारण आपके पड़ौस या मोहल्ले में रहने वालो के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।
6. आप भूखण्ड में निर्धारित भवन रेखाओं के आगे कोई निर्माण कार्य नहीं करेंगे।
7. आपके द्वारा भूखण्ड पर निर्माण इस पत्र के पीछे वर्णित शर्तो एवं न्यास में प्रचलित भवन विनियमो के प्रावधानो के अनुसार ही करवाया जायेगा अन्यथा उनके उल्लंघन करने पर अनाधिकृत निर्माण तोड़ने के अलावा आप पर फौजदारी मुकदमा चलाया जायेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी। अनाधिकृत निर्माण आप के खर्चे से ही तुड़वाया जाकर न्यास द्वारा आपसे खर्चे वसूल किया जायेगा।
8. इस भवन की इजाजत से भूमि / भूखण्ड के स्वामित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा एवं इस सम्बन्ध में न्यास एवं अन्य व्यक्तियों के अधिकार सुरक्षित रहेंगे।
9. यह स्वीकृति मात्र आवासीय / व्यावसायिक / संस्थागत उपयोग तथा भूतल + प्रथम मंज़िल तक भवन का निर्माण हेतु दी जा रही है। स्वामित्व एवं अन्य मुद्दो बाबत् वास्तविक तथ्य छिपाकर गलत शपथ–पत्र देने एवं स्वीकृति विपरित निर्माण एवं उपयोग करने पर न्यास द्वारा जारी स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
10. भूखण्ड के सामने जहां सीवर लाईन उपलब्ध है, वहां आपके सीवर कनेक्शन लेना अनिवार्य होगा।
11. भूखण्ड कॉर्नर होने पर आपको भूखण्ड के मोड (नुक्कड) पर बाउण्ड्री की दीवार का निर्माण गोलाकार में करना अनिवार्य होगा।
12. भूखण्ड में वर्षा जल एकत्रीकरण हेतु टांके का निर्माण अनिवार्य रूप से किया जाये। इस पानी को घरेलु उपयोग में लिया जाय। भूखण्ड में Water Harvesting System लगाना अनिवार्य होगा।
13. भूखण्ड क्षेत्र में कम से कम एक वृक्ष अवश्य लगायें तथा भवन निर्माण कम से कम लकड़ी का उपयोग कर पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्द्धन में सहयोग करें।
14. प्रार्थी इस भूखण्ड पर भवन निर्माण हेतु किसी भी राष्ट्रीकृत बैंक व अन्य संस्थाओं से ऋण लेने हेतु भूखण्ड को रहन रखे तो इसमें न्यास को कोई आपत्ति नहीं है।
15. भूखण्ड पर निर्मित होने वाला भवन संरचनात्मक दृष्टि से सुरक्षित हो, उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी प्रार्थी स्वयं ही होगी।
16. आवेदित भूखण्ड के क्षैत्र में भविष्य में बनायी जाने वाली नालियों के निर्माण के स्तर को ध्यान में रखते हुए भूखण्ड की प्लीन्थ रखी जाय।
17. आपको भवन की दीवारें एवं फर्श जलरोधी बनाने होंगे एवं सतह का पानी बहकर अन्दर न घुसे, इस कार की पर्याप्त व्यवस्था करनी आवश्यक होगी।
18. भवन निर्माता / भवन स्वामी द्वारा सैफ्टी टैंक की सफाई के लिये मानव शक्ति का उपयोग नहीं किया जावेगा एवं Dry Latrine का निर्माण भी नहीं करावें।
19. आप द्वारा प्रस्तुत मानचित्रानुसार भूतल पर निर्माण स्वीकृति क्षैत्रफल — एवं प्रथम तल एवं द्वितीय तल पर निर्माण स्वीकृति क्षैत्रफल — पर ही निर्माण करावें। इससे अधिक क्षैत्रफल पर बिना स्वीकृति के निर्माण नहीं करावें।

20. आप द्वारा वर्षा जल संग्रहण हेतु अमानत राशि ....200000/-.... अक्षरे ....दो लाख रूपये.... चालान संख्या 00002 2013 (South Indian Bank) जमा करायी/गयी है। (यदि देय हो तो)

21. आप द्वारा प्रस्तुत मानचित्रानुसार चाही गयी निर्माण स्वीकृति के अनुसार निर्मित किये जाने वाले भवन की श्रम विभाग को नियमानुसार कुल निर्माण लागत की एक प्रतिशत सेस राशि देय बनती है, जो आप द्वारा रूपये ....57495/-.... अक्षरे ....सत्तावन हजार चार सौ पिचानवे.... चालान द्वारा दिनांक ....20/04/13.... को बैंक ....स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर.... में संयुक्त श्रम आयुक्त वास्ते सचिव, राजस्थान भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, उदयपुर के नाम जमा करायी गयी, जिसकी दो प्रतियां आप द्वारा न्यास में प्रस्तुत कर दी गयी है। (यदि देय हो तो)

22. यह निर्माण स्वीकृति जारी होने के दिनांक से ....17/05/2014.... वर्ष के लिये ही मान्य है। इस समयावधि के पश्चात् इसे नवीनीकरण कराना आवश्यक है।

23. यह निर्माण स्वीकृति भवन मानचित्र समिति की बैठक दिनांक 05/11/12 में निर्णयानुसार दी जा रही है।

सक्षम अधिकारी
उप नगर नियोजक
नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर
O/C

प्रतिलिपी –

1. तहसीलदार, न्यास।
2. भूमि रूपान्तरण शाखा / बिक्री शाखा / नियमन शाखा, न्यास को प्रेषित कर लेख है कि प्लान मूत्र पत्रावली में लगावे।
3. श्रम विभाग, उदयपुर।
4. कार्यालय प्रति भवन मानचित्र शाखा।

सक्षम अधिकारी
उप नगर नियोजक
नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर
O/C

CONDITIONS :

1. No Projection shall be allowed over the minimum open space except in the front and that to will be permitted only in way of balcony.
2. Plinth height shall be not less than 2'-0 ft. from a abutting road level and height of compound wall shall be not more than 4.5 ft.
3. Kitchen shall be provided with proper ventilation system.
4. Width of staircase shall be not less than 3 ft.
5. All the latrines and bathrooms shall have at least one external wall with proper ventilations.
6. No living rooms shall cover carpet area less than 100 ft.
7. Clear ceiling height of living rooms shall be not less ban 10'-00" ft. in ground floor adn 10'-00" ft. in upper floors.
8. Only flush latrine shall be constructed in accordance with prevalent ruled and the effluence of septic task shall be absorbed in the soak pit within the premises of the plot.
9. Where the government surface drain not exit the waste of the house shall be absorbed soak pit within the premises of the plot.
10. In case of corner plot, corner of compound wall at road crossing shall be strictly rounded to the radius mentioned in the patta / site plan.
11. No addition or alteration to the sanctioned plan shall be made prior to approval of this department.
12. Plot number shall be put on gate pillar.
13. Owner of the house should inform the date of commencement of construction to this office before it actually starts.
14. The house construction under this permission shall be declared for use only after obtaining completion certificate as per approved plan.
15. Rest rules as prevalent in municipal corporation for this clearance and sanction etc. shall be strictly followed.

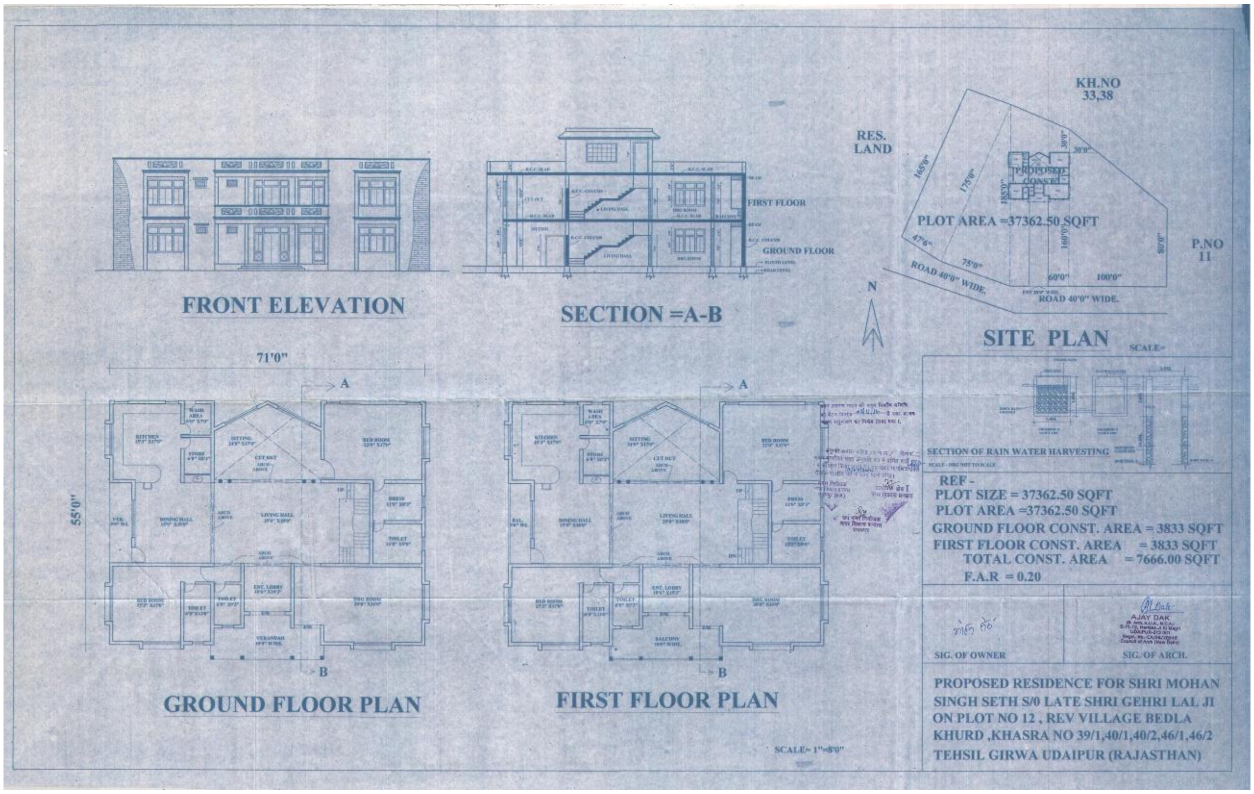

FRONT ELEVATION
SECTION =A-B
FIRST FLOOR
GROUND FLOOR
RES.
LAND
KH.NO
33,38
165'0"
175'0"
30'0"
30'0"
PROPOSED
CONST
PLOT AREA =37362.50 SQFT
47'6"
75'0"
160'0"
80'0"
60'0"
100'0"
P.NO
11
ROAD 40'0" WIDE.
ROAD 40'0" WIDE.
N
SITE PLAN
SCALE=
71'0"
55'0"
A
B
KITCHEN
SITTING
CUT OUT
BED ROOM
LIVING HALL
DINING HALL
DRESS
TOILET
VERANDAH
BALCONY
GROUND FLOOR PLAN
FIRST FLOOR PLAN
SCALE= 1"=8'0"
SECTION OF RAIN WATER HARVESTING
REF -
PLOT SIZE = 37362.50 SQFT
PLOT AREA =37362.50 SQFT
GROUND FLOOR CONST. AREA = 3833 SQFT
FIRST FLOOR CONST. AREA = 3833 SQFT
TOTAL CONST. AREA = 7666.00 SQFT
F.A.R = 0.20
SIG. OF OWNER
AJAY DAK
SIG. OF ARCH.
PROPOSED RESIDENCE FOR SHRI MOHAN
SINGH SETH S/0 LATE SHRI GEHRI LAL JI
ON PLOT NO 12 , REV VILLAGE BEDLA
KHURD ,KHASRA NO 39/1,40/1,40/2,46/1,46/2
TEHSIL GIRWA UDAIPUR (RAJASTHAN)